

12/12/24

पत्रावली पेन्नी में ली गई। प्रति सं. 1 ता 8 के
द्विजाफ रूक पक्षीय कार्यवाही उमल में लाई
जा-चुकी है। अधिवक्ता शर्मा को एक
पक्षीय सुना गया। इको का निर्धारण मूल
वाद में तम सेना है जिसमें उभयपक्ष प्रवर्त
पैवी कर सकते हैं। दिनांक 5/9/2023 को
जारी स्पगन आदेश ता- फैसला दावा Confis
किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान बही
है- अपितु आगे विवाद न बढने में
सहायक ही होगा। उपर्युक्त विवेचन-
आधार पर जारी स्पगन आदेश दिनांक
5/9/2023 को ता- फैसला मूल वाद के
Confisम किया जाता है आदेश सुनाया
गया। पत्रावली नंबर से काम ही जाकर
दाखिल दफतर की जाती है।

सहायक कैलक्टर
एवं उपसहायिका
हनुमानगढ़

